

कर्मचारी चयन आयोग

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्रमांक	प्रश्न	जवाब
1	आयोग अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर कब अपलोड करता है?	अगले वर्ष के लिए आयोग की परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर साधारणतयाचालू वर्ष के सितंबर/अक्तूबर महीने में कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर अपलोड किया जाता है।
2	किसी परीक्षा की सूचना/विज्ञापन कब जारी की जाती है?	विभिन्न परीक्षाओं के नोटिस जारी करने की संभावित तिथियां वार्षिक परीक्षाओं के कैलेंडर में दी जाती हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि नवीनतम अपडेट के लिए आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से देखें।
3	क्या आयोग परीक्षा की तारीख में बदलाव के अनुरोध पर विचार करता है यदि किसी समान तारीख पर अन्य संगठनों की भी परीक्षाएं हों?	किसी समान तारीख पर अन्य संगठनों की भी परीक्षाएं होने की स्थिति में आयोग अपनी परीक्षा तिथियों में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करता है। आयोग किसी अन्य कारण से भी परीक्षा केंद्र और परीक्षा पाली आदि में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करता है।
4	क्या आयोग की परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है?	हां, आयोग के समक्ष एकबारगी पंजीकरण कराना एक अनिवार्य शर्त है। एक बारपंजीकरण पूरा होने पर, उम्मीदवार आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
5	क्या उम्मीदवार को परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले हर बार पंजीकरण कराना चाहिए?	नहीं, यदि उम्मीदवार ने 20-07-2018 के बाद एक बार पंजीकरण कराया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए एक ही 'पंजीकरण संख्या' और 'क.च.आ. पंजीकरण पासवर्ड' का उपयोग करना होगा।
6	मैंने 2017 में पंजीकरण कराया है। क्या मैं 2019 में आयोग की परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकता हूँ?	नहीं। 20-07-2018 को आयोग की नई वेबसाइट के शुरू होने के बाद, उस तिथि से पहले आवंटित पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उम्मीदवार को फिर से पंजीकरण करना होगा।
7	एकबारगी पंजीकरण (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) की प्रक्रिया क्या है?	एकबारगी पंजीकरण के लिए,क.च.आ. की वेबसाइट https://ssc.nic.in पर लॉगिन भाग में दिए गए 'Register Now' लिंक पर क्लिक करें। पंजीकरण वेबपेज में दिए गए अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें।
8	मैं एकबारगी पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने में असमर्थ हूँ।	फोटो और हस्ताक्षर फाइलों के आकार और प्रारूप की जांच करें। स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार फोटो जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए और फोटो फाइल का आकार 20 केबी से 50 केबी के बीच होना चाहिए।

		फोटोकी लम्बाई-चौड़ाई (आयाम) लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (लम्बाई) होनी चाहिए। इसी प्रकार, स्कैन किया गया हस्ताक्षर फ़ाइल भी जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए तथा फ़ाइल का आकार 10 केबी से 20 केबी के बीच होना चाहिए। हस्ताक्षर केफोटो का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 3.0 सेमी (लम्बाई) होना चाहिए। हस्ताक्षर काफोटो फ्रेम के कम से कम 75% भाग पर होनी चाहिए।
9	मुझे ई-मेल पर पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है।	आप अपने ई-मेल में 'स्पैम' फोल्डर में देख सकते हैं। यदि स्पैम फोल्डर में भी ई-मेल प्राप्त नहीं हुआ हो, तो सम्भवतः आपने गलत ईमेल-आईडी दर्ज किया है। आप कॉल या ईमेल के माध्यम से सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय के हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
10	यदि कोई उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और पासवर्ड भूल जाए, तो इसे कैसे प्राप्त करें?	https://ssc.nic.in पर लॉगिन भाग में 'forgot password' लिंक पर जाएं और अपेक्षित विवरण डालें। ईमेल अथवा मोबाइल ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने पर, स्क्रीन पर पंजीकृत ईमेल-आईडी और पंजीकरण संख्या प्रदर्शित होगी। आपको पासवर्ड बदलने के लिए कहा जाएगा। अपना नया पासवर्ड सेट करें और इसे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखें।
11	मैं पहली बार, एकबारगी पंजीकरण(वन टाइम रजिस्ट्रेशन) कर रहा हूँ। फिर भी जब मैं अपना डेटा'Basic Information' टैब में सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सिस्टम एक संदेश दे रहा है कि "प्रयोक्ता पहले से मौजूद है"।	अपने माध्यामिक प्रमाण-पत्र की जांच करें। यदि 'अनुक्रमांक' के अलावा 'रोल कोड' भी दिया गया हो, तो पंजीकरण फॉर्म के कॉलम 6 (iii) और 6 (iv) में, निम्नलिखित प्रारूप में अपना अनुक्रमांक दर्ज करें: "रोल कोड" - "अनुक्रमांक"। उदाहरण के लिए, यदि आपके माध्यामिक प्रमाण-पत्र में दिया गया रोल कोड 12345 है और अनुक्रमांक 1234567 है, तो आपको कॉलम 6 (iii) और 6 (iv) में अनुक्रमांक 12345-1234567 दर्ज करना होगा।
12	मैंने कुछ दिन पहले एकबारगी पंजीकरण बनाना शुरू किया। मुझे 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड आवंटित किया गया था। हालाँकि, मैंने एकबारगी पंजीकरण प्रक्रिया पूर्णतया पूरा नहीं किया था। अब जब मैं अपने क्रेडेंशियल द्वारा लॉगिन करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सिस्टम संदेश दे रहा है कि "कृपया अपना प्रयोक्ता नाम / पासवर्ड जाँचें"। "forgot password" लिंक भी काम नहीं कर रहा है।	यदि आप 14 दिनों के भीतर एकबारगी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आपका डेटा डेटाबेस से स्वतः ही मिट जाता है। इसलिए आपको नए सिरे से एकबारगी पंजीकरण करना होगा।
13	आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय विशेष	आयोग के सभी 9 क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क

	कार्यालयों से संपर्क हेतु विवरण क्या हैं?	हेतु विवरण आयोग की वेबसाइट एवं आयोग की संबंधित क्षेत्रीय वेबसाइट (वेबसाइटों) पर उपलब्ध हैं।
14	आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें?	परीक्षा की सूचना के प्रकाशन के बाद कृपया वेबसाइट के लॉगिन भाग में अपने 'पंजीकरण संख्या' और 'क.च.आ.पंजीकरण पासवर्ड' का उपयोग करके लॉगिन करें। अपने डैशबोर्ड के 'नवीनतम अधिसूचना' भाग में उस परीक्षा लिंक पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले परीक्षा की सूचना को पढ़ें।
15	आवेदन के साथ भुगतान किया जाने वाला शुल्क कितना है?	आवेदन के साथ भुगतान किया जाने वाला शुल्क प्रत्येक परीक्षा के लिए एक सौ रुपये (100/- रुपये) है।
16	कौन शुल्क भुगतान से छूट के पात्र हैं?	सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है।
17	शुल्क भुगतान कैसे करें?	ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपये क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके अथवा एसबीआई शाखाओं में एसबीआई चालान बनाकर शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
18	मैंने एक से अधिक बार भुगतान किया है। रिफंड कैसे प्राप्त करें?	एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
19	क्या मैं शुल्क भुगतान ऑफलाइन कर सकता हूँ?	जी हां। आप एसबीआई चालान के माध्यम से भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इस विकल्प को चुनें और चालान फॉर्म का प्रिंट लें। किसी भी एसबीआई शाखा में शुल्क का भुगतान नकद करने के लिए इसका इस्तेमाल करें।
20	मैंने ऑफलाइन बैंक चालान के माध्यम से शुल्क जमा किया है। अब, क्या मुझे आवेदन पत्र में अपनी लेनदेन आईडी और जमा करने की तारीख दर्ज करनी चाहिए?	नहीं। 2-3 कार्य दिवसों तक प्रतीक्षा करें। आपका बैंक भुगतान विवरण स्वतः अपडेट हो जाएगा।
21	यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन भुगतान करने में असमर्थ है और त्रुटि संदेश प्रदर्शित हो, तो क्या करें?	ऑनलाइन शुल्क भुगतान के लिए दूसरी बार प्रयास करने से पहले उम्मीदवार 48 घंटे तक प्रतीक्षा करें अथवा भारतीय स्टेट बैंक में नकद भुगतान करने के लिए एक ऑफलाइन चालान बनाया जा सकता है।
22	अपने ऑफलाइन बैंक चालान का प्रिंट पुनः कैसे प्राप्त करें?	वेबसाइट के लॉगिन भाग में अपनी 'पंजीकरण संख्या' और 'क.च.आ. पंजीकरण पासवर्ड' का उपयोग करके लॉगिन करें। अपने डैशबोर्ड में 'नवीनतम अधिसूचना' भाग में संबंधित परीक्षा के 'डाउनलोड ऑफलाइन चालान' लिंक पर क्लिक करें।
23	यदि ऑनलाइन भुगतान करने के पश्चात	इसका मतलब है कि अभी तक आयोग को बैंक से

	आवेदन की स्थिति अपूर्ण दिखाई दे रही हो, तो क्या करें?	शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है। शुल्क भुगतान की स्थिति उम्मीदवार की लॉगिन स्क्रीन में दिए गए लिंक 'Payment Status' या 'Double Verification of Payment' लिंक पर देखी जा सकती है। आप 2-3 दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद फिर देख सकते हैं। यदि भुगतान अभी भी नहीं हुई हो, तो आप शुल्क राशि की वापसी के लिए अपने बैंक खाते की जांच कर सकते हैं। अपने बैंक से संपर्क करें या आप फिर से शुल्क भुगतान कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप ऑफलाइन चालान भी बना सकते हैं ताकि एसबीआई में नकद भुगतान किया जा सके।
24	आवेदन की स्थिति "अस्थायी रूप से पूर्ण" या "अस्थायी रूप से स्वीकृत" दर्शाने का क्या अर्थ है?	ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। आयोग द्वारा इसे अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि आप द्वारा भरे गए विवरण आयोग द्वारा सत्यापित नहीं किए गए हैं।
25	मैंने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है। मुझे अपना आवेदन पत्र पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए कोई लिंक नहीं मिल रहा है।	वेबसाइट के लॉगिन भाग में अपनी 'पंजीकरण संख्या' और 'क.च.आ. पंजीकरण पासवर्ड' के जरिए लॉगिन करें। अपने डैशबोर्ड में 'नवीनतम सूचनाएं' भाग में संबंधित परीक्षा के 'प्रिंट' लिंक पर क्लिक करें।
26	मैं पंजीकरण भाग में अपना नाम / पिता का नाम / माता का नाम / लिंग / मोबाइल नंबर आदि संशोधित करना चाहता हूँ, मैं यह कैसे कर सकता हूँ?	वेबसाइट के लॉगिन भाग में अपनी 'पंजीकरण संख्या' और 'क.च.आ. पंजीकरण पासवर्ड' के जरिए लॉगिन करें। 'Modify Registration' पर क्लिक करें और अपेक्षित परिवर्तन करें। संशोधन सावधानीपूर्वक करें क्योंकि 'मूल विवरण' टैब में प्रविष्टियों को केवल एक बार संशोधन की अनुमति है।
27	क्या मैं आवेदन करने से पहले अपना पता संबंधी विवरण, फोटो, हस्ताक्षर आदि बदल सकता हूँ?	हां, परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले आप इसे बदल सकते हैं। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (आईडी एवं पासवर्ड) का उपयोग करके लॉगिन करें, फिर 'Modify Registration' पर क्लिक करें और अपेक्षित परिवर्तन करें।
28	क्या किसी परीक्षा के लिए अंतिम रूप से फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन प्रपत्र में किसी भी विवरण में परिवर्तन की अनुमति है?	नहीं, एक बार ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद, संशोधन की अनुमति नहीं है।
29	मैं कौशल परीक्षण/टंकण परीक्षण के संबंध में अपना टंकण माध्यम बदलना चाहता हूँ।	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद टंकण माध्यम में परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
30	मुझे आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं का विवरण कहां मिल सकता है?	आयोग वर्ष में कई प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है। परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
31	किसी परीक्षा के लिए आयु-सीमा और	संबंधित परीक्षा के नोटिस में आयु-सीमा और अनिवार्य

	अनिवार्य योग्यताओं की गणना के लिए निर्णायक तिथि क्या है?	योग्यताओं की गणना के लिए निर्णायक तिथियां उल्लिखित होती हैं।
32	किसी विशेष परीक्षा के लिए दिव्यांगजन उम्मीदवारों हेतु आयु, शैक्षिक योग्यता, पदों की उपयुक्तता आदि के संबंध में पात्रता मानदंड का पता कैसे लगाया जा सकता है?	ऐसे सभी विवरण कर्मचारी चयन आयोग-मुख्यालय की वेबसाइट पर आयोजित की जाने वाली संबंधित परीक्षाओं के नोटिस में उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ लें।
33	कोई भी दिव्यांगजन उम्मीदवार किस विज्ञापित पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है?	दिव्यांगजन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी के सम्बंध में अंतिम रूप से केवल उन्हीं पदों के लिए विचार किया जाता है जो उनके लिए उपयुक्त पाए जाते हैं। अतः उम्मीदवार संबंधित परीक्षा की सूचना देख सकते हैं।
34	विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आयु में कितनी छूट दी गई है?	ऊपरी आयु सीमा में अनुमेय आयु छूट का विधिवत उल्लेख परीक्षाओं की सूचनाओं में किया गया है।
35	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि और विकलांग/दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के क्या प्रावधान हैं?	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के उम्मीदवारों और विकलांग/दिव्यांगजन श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या प्रयोक्ता विभागों द्वारा तय की जाती है और इस मामले में आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। आयोग विभिन्न प्रयोक्ता विभागों द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर ही भर्ती करता है।
36	कर्मचारी चयन आयोग की किसी विशेष परीक्षा के लिए कितनी रिक्तियां हैं?	संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न परीक्षाओं की सम्भावित रिक्तियां आयोग की वेबसाइट पर "candidates corner" शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं। विभिन्न परीक्षाओं के लिए रिक्ति की स्थिति समय-समय पर आद्यतन की जाती है।
37	क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होती है?	निगेटिव मार्किंग के सम्बंध में विशेष जानकारी संबंधित परीक्षा की सूचना में प्रकाशित परीक्षा योजना में दी जाती है।
38	क्या आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामान्यीकरण अपनाया जाता है?	किसी परीक्षा के सामान्यीकरण के संबंध में जानकारी उस परीक्षा की सूचना में दी जाती है। सामान्यीकरण केवल बहु पाली परीक्षाओं में अपनाया जाता है।